

30

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-5/सूचना-23-04/2015-

/स्वा०, बिहार, दिनांक:- / /2018

विभागीय कार्यहित में श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव के विरमन/ प्रभार परित्याग के आलोक में आदेश संख्या-1219(5) दिनांक-24.09.2018 को अल्प संशोधित करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) एवं 19(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं निदेशालय स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्री सिन्हा की जगह प्रशाखा-18ए (प्रोन्नति कोषांग) का लोक सूचना पदाधिकारी डॉ० उदय कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तथा प्रशाखा-5 के लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में श्री डॉ० विनय श्वरूप, अपर निदेशक-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, प्रशाखा-18 (जन शिकायत कोषांग सहित) को अपने पूर्व दायित्वों के अतिरिक्त नियुक्त किया जाता है।

- 2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 3- प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-

1363 (5)

/स्वा०, पटना, दिनांक:- 29/10/18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, पटना/निदेशक प्रमुख/संबंधित अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।